बिहार सरकार

वित्त (अंकेक्षण) विभाग

बिहार,पटना

अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्या – 140/09–10

1. परिचयात्मक :–

(क) अंकेक्षित लेखा का नाम – प्रखण्ड विकास कार्यालय मधुबन (पूर्वी चम्पारण)

(ख) लेखा के प्रशासी विभाग एवं
प्रशासी पदाधिकारी का नाम,
पदनाम अवधि सहित – ग्रामीण विकास विभाग बिहार,पटना

(i) अभिमन्यू सिंह (1.4.05 से 13.2.06 तक)
(अनुमण्डल पदाधिकारी पकड़ीदयाल)

(ii) अरूण कुमार सिंह (14.2.06 से 31.3.07 तक)
(अनुमण्डल पदाधिकारी पकड़ीदयाल)

(ग) लेखा पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों
के नाम पदनाम अवधि सहित – 1. संजीव कुमार सिंह (1.4.05 से 8.7.05 तक)
(प्रखण्ड विकास पदाधिकारी)

2. सुनील कुमार (9.7.05 से 27.7.05 तक)
(प्र0 वि0 पदा0) बिहार प्र0 सेवा

3. सुभान्त कुमार (26.7.05 से 15.2.06 तक)
(प्र0 वि0 पदा0) बिहार प्र0 सेवा

4. ओम प्रकाश पाल (16.2.06 से 31.3.07 तक)
(प्र0 वि0 पदा0) बिहार प्र0 सेवा

5. प्रमोद कुमार (वर्त्तमान में)

6. बीरेन्द्र कुमार (नाजीर) (1.4.05 से 25.5.05 तक)

7. श्री सुरेन्द्र सिंह (नाजीर)(26.5.05 से 11.9.05 तक)

8. मुक्तिनारायन सिंह(नाजीर)(12.9.05 से अद्यतन)

(घ) अंकेक्षण में सहयोग देने

वाले का नाम – श्री मुक्ति नारायण सिंह नाजीर।

(ड.) अंकेक्षण अवधि – वर्ष 2005–06 एवं 06–07

(च) वरीय अंकेक्षको के नाम – 1. श्री अमर नाथ झा वरीय अंकेक्षण–2

2. श्री राम वरण साह तदैव

3. श्री अशोक कुमार तदैव

4. श्री बालेश्वर प्रसाद तदैव

(छ) अंकेक्षण प्रारम्भण तिथि – 8.10.2009

(ज) अंकेक्षण समापन तिथि – 30.12.2009

(झ) अंकेक्षण में व्यतीत कार्य दिवसों की संख्या – 50 दिन

(ञ) अंकेक्षण में प्रस्तुत एंव अप्रस्तुत अभिलेखों की सूची परिशिष्ट 'क' पर उल्लेखित है।

(ट) अंकेक्षण का क्षेत्र –

इस लेखा का अंकेक्षण कार्य विभागीय ज्ञापांक 3286 दिनांक 16.9.1960 के निर्देशानुसार उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर सम्पन्न किया गया। कोषागार से निकासी एवं जमा राशियों का सत्यापन जिला कोषागार कार्यालय मोतीहारी से शत् प्रतिशत किया गया तथा सही पाया गया।

पूर्व का अंकेक्षण प्रतिवेदन इस कार्यालय द्वारा प्रस्तुत नही किया गया फल स्वरूप अनुपालन नही देखा जा सका। अंकेक्षण के क्रम में कुछ आपत्तियाँ निर्गत किया गया लेकिन अनुपालन की दिशा में तथा अभिलेखों के उपस्थापन में वांछित सहयोग नही मिला,फल स्वरूप कुछ अन्य महत्व पूर्ण आपत्तियाँ सीधे प्रारूप अंकेक्षण प्रतिवेदन में समाहित किया गया।

(ढ़) भौतिक सत्यापन :–

विभागीय ज्ञापांक 503 दिनांक 29.1.1976 के आलोक में अंकेक्षण प्रारम्भण तिथि 8.10. 2009 को रोकड़ पुस्त में दिखाये गये संवरण शेष का भौतिक सत्यापन निकासी एवं व्ययन

पदाधिकारी (प्र0 वि0 पदा0) द्वारा करना था नही किया गया। जो अंकेक्षण के प्रति उदानसीनता का परिचायक है। विशेष बात यह है कि अंकेक्षण की समाप्ति तिथि तक सामान्य रोकड़ पुस्त दिनांक 17.7.09 तक ही लिखा पाया गया था।

वर्त्तमान में बिना प्रभार लिये प्रधान सहायक द्वारा ही नजारत का कार्य किया जा रहा था। विभागीय उच्चाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट करते हुए सुझाव है कि किन्ही अन्य व्यक्ति को नजारत का प्रभार सौपे जाने हेतु कार्रवाई की जाय।

(ड.) वित्तीय समीक्षा –

इस कार्यालय को प्राप्त आवंटन एवं व्यय का विवरण प्रतिवेदन के परिशिष्ट 'ख' पर दिया गया है जिसके अवलोकन से ज्ञात होगा कि खर्च आवंटित राशि के अन्तर्गत किया गया था। बचत राशि का प्रत्यार्पण से सम्बद्ध कागजात अंकेक्षण दल को उपलब्ध नही कराया गया फलस्वरूप इन बिन्दुओं पर प्रकाश नही डाला जा सका।

इस कार्यलय द्वारा जो स्वीकृत बल एवं कार्यरत बल की सूची उपलब्ध करायी गई उसके अवलोकन से स्पष्ट है कि व्यय स्वीकृत बल पर ही किया गया है। कार्यरत बल एवं स्वीकृत बल की सूची परिशिष्ट 'ग' पर दी गयी है।

शीर्ष 2053 (राजभाषा) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 05–06 एवं 06–07 में क्रमशः 2,66,597=00 एवं 4,00,220=00 रू0 की राशि का व्यय वेतन एवं अन्य भत्तों मदो में उर्दू अनुवादक एवं उर्दू टंकक पर किया गया था लेकिन इन दोनों वित्तीय वर्षो में उर्दू अनुवाद एंव उर्दू टंकक से सम्बन्धित एक भी कागजात इस कार्यालय द्वारा उपलब्ध नही कराया गया। फलस्वरूप 2,66,597=00+4,00,220=00= 6,66,817=00 रू0 का व्यय की जाँच नही की जा सकी।

अंकेक्षण के क्रम में यह पाया गया कि इस कार्यालय द्वारा रोकड़ पुस्त का विस्तृत विवरणी कभी भी नही लिखी गयी या केवल पदाधिकारियों के प्रभार तिथि को ही विस्तृत विवरणी लिखी गई थी। अंकेक्षणाधीन वित्तीय वर्षो के अंतिम तिथि 31.3.06 एवं 31.3.07 को भी रोकड़ का विस्तृत विवरण नही लिखा गया था जो बिहार कोषागार संहिता भाग–1 के नियम 86(iv) का उल्लंधन है।

इस ओर भी विभागीय उच्च पदाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है तथा सुक्षाव दिया जाता है कि प्रत्येक माह के अन्त एवं वित्तीय वर्षो के अन्त में रोकड़ का विस्तृत विवरणी का उल्लेख अवश्य किया जाय। अंकेक्षणधीन वित्तीय वर्ष 06–07 के अंतिम तिथि में विभिन्न सहायक रोकड़ पुस्तों का जो संवरण शेष का लिखा गया था उसकी विस्तृत विवरणी अंकेक्षण द्वारा दल द्वारा तैयार की गई जिसका व्योरा परिशिष्ट 'घ' पर तथा बैंक वार खाता में जो राशि दिखायी गयी है उसकी विवरणी परिशिष्ट 'ड.' पर दी गयी है जिसके अवलोकन से स्पष्ट होगा कि दिनांक 31.3.2007 को सामान्य रोकड़ का संवरण शेष 4,42,03,169=10 रू0 एवं विभिन्न

बैंको के खातों में रू0 4,02,96,499=16 की राशि थी। दिनांक 31.3.07 को अंकेक्षण दल द्वारा उपलब्ध अभिलेखों बैंक पंजी, पारित अभिश्रव पंजी एवं अस्थायी अग्रिम पंजी के आधार पर जो विस्तृत विवरणी पायी गयी वह निम्नवत थी।

1. विभिन्न बैंको में (विवरण परिशिष्ट ड. में)	–	4,02,96,499=16
2. अस्थायी अग्रिम	–	6,49,837=62
3. पारित अभिश्रव (सामान्य)	–	20,38,442=00
4. पारित अभिश्रव (सी0 आर पी0 एफ)	–	11,94,414=00
5. सिंगल लॉक में	–	23,976=32
	योग–	**4,42,03,169=10**

भाग –1

(2) रू0 17,68,774=00 की राशि को कोषागार सम्बन्धित विभाग एवं शीर्ष में अन्तर्गत में जमा करने योग्य :–

सहायक रोकड़ पुस्तों में दर्ज आय व्यय पक्षों की राशि का सत्यापन सामान्य रोकड़ पुस्त के आय एवं व्यय पक्ष से करने के क्रम में पाया गया कि बहुत से सहायक रोकड़ पुस्त में वर्षो से अनावश्यक रूप से राशि पड़ी है जिसका खर्च नही किया जा रहा हैं। यह राशि कुल रू0 17,68,774=00 है जिसकी विवरणी परिशिष्ट 'च' पर दी गयी है। वित्त विभागीय ज्ञापांक 1946 दिनांक 14.2.79 तथा बिहार कोषागार संहिता भाग –1 के नियम 300 में निहित प्रावधानों के अनुसार कोषागार से राशि की निकासी उस समय की जानी चाहिए जब उसके व्यय की तत्काल आवश्यकता हो। कोषागार से राशि निकाल कर नगद रूप में बैंक या ड्राफ्ट के रूप में रखा जाना अनुमान्य नही है।

अंकेक्षण दल द्वारा आपत्ति निर्गत कर उक्त राशि 17,68,774=00 रू0 को कोषागार में जमा कराने का सुझाव दिया गया लेकिन 'कार्यालय एवं वर्त्तमान पदाधिकारी द्वारा राशि जमा कराने हेतु कोई पहल नही किया गया। साथ ही निर्गत आपत्ति के उत्तर में कोई संतोष जनक जबाब भी नही दिया गया। कार्यालय के प्रधान सहायक द्वारा यह मौखिक रूप से बताया गया कि यह राशि विचलन कर अन्य मदों में खर्च किया जा चुका है एवं यह राशि पारित अभिश्रव के रूप में पड़ी है। अतः तत्काल राशि 17,68,774=00 रू0 को कोषागार में जमा करना संभव नही है।

अतः विभागीय उच्चाधिकारियों का ध्यान उपरोक्त वर्णित एवं उल्लेखित राशि की ओर आकृष्ट किया जाता है एवं सुझाव दिया जाता है कि अबिलम्ब राशि 17,68,774=00 को कोषागार /सम्बन्धित विभाग में जमा कराया जाय तथा इसकी सूचना वित्त (अंकेक्षण) विभाग

को दिया जाय। साथ ही साथ भविष्य में इस तरह की परम्परा पर रोक लगाने का आवश्यक दिशा निर्देश दिया जाय।

(3) रू0 2,14,800=00 अस्थायी अग्रिम राशि असमायोजित :–

इस कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गये अस्थायी अग्रिम पंजी में दर्ज अस्थायी अग्रिमों के जाँच के क्रम में पाया गया कि चेक संख्या 711502 दिनांक 29.5.05 को अनुमण्डल पदाधिकारी पकड़ी दयाल को 3,00,000=00 रू0 उधार के तौर पर पंचायत निर्वाचन 06 का कार्य सम्पादन हेतु दिया गया था जिसमें सिर्फ (एक लाख) 1,00000=00 रू0 का ही समायोजन हो सका है। अभी भी (दो लाख) 2,00,000=00 रू0 की राशि अनुमण्डल कार्यालय पकड़ीदयाल के यहाँ पड़ा हुआ है।

इसी प्रकार कुछ ऐसे कर्मचारी थे जो यहाँ से (इस प्रखण्ड स) स्थानान्तरित हो कर बहुत पहले ही जा चूके थे जिनके नाम पर कुल 14,800=00 अग्रिम था लेकिन अभी तक समायोजित नही हो सका। अस्थायी अग्रिम की विस्तृत विवरणी परिशिष्ट 'छ' पर दी गयी है। जिसके अवलोकन से ज्ञात होगा कि असमायोजित अग्रिम की कुल राशि 6,49,837=62 रू0 थी।

उक्त राशि में अंकेक्षण अवधि में दी गई राशि 2,14800 है। तथा 4,35,037=62 पैसा अंकेक्षण अवधि के पूर्व अवधि का है।

अतः विभागीय पदाधिकारियों का ध्यान अंकेक्षणाधीन अवधि से सम्बन्धित कूल रू0 2,14800=00 की ओर आकृष्ट करते कहना है कि अविलम्ब सम्बन्धित कर्मचारियों एवं कार्यालय से अंकेक्षणाधीन अवधि से पूर्व की राशि सहित सम्पूर्ण राशि के समायोजन की दिशा में आवश्यक कार्रवाई कर इसकी सूचना वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार पटना को दिया जाय।

(4) रू0 8,000=00 की राशि अपत्तिन्तर्गत :–

शीर्ष बायोगैस के सहायक रोकड़ पुस्त में व्यय राशि का सत्यापन एवं जाँच के दौरान यह पाया गया कि दिनांक 27.5.05 को रवि कुमार भार्गव (एन.जी0 ओ0) भगत सिंह जन सहयोग कल्याण बिहार को 8000=00 का नगद भुगतान बायोगैस निर्माण के लिये किया गया था। एन. जी0 ओ0 द्वारा बायौगैस निर्माण कराया गया या नही इसके प्रमाण में कोई कागजात उपलब्ध नही कराया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि बायोगैस शीर्ष में अनावश्यक पड़ी राशि से 8000=00 का नगद भुगतान किया गया किन्तु बायोगैस का निर्माण नही किया गया।

अतः विभागीय उच्चाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट करते हुए सुझाव है कि 8000=00रू0 बायोगैस निर्माण के नाम पर भुगतान दिखाई गई राशि के बायोगैस का निमार्ण कराया गया था यह सुनिश्चित किया जाय। यदि बायोगैस निर्माण नही कराया गया था तो जिम्मेवार व्यक्ति से राशि सूद सहित वसूली की जाय तथा इसकी सूचना वित्त (अंकेक्षण) विभाग बिहार पटना को दिया जाय। तबतक रू0 8000=00 के व्यय को आपत्तिन्तर्गत रखा जाता है।

<u>(5) योजना में अधिक भुगतान रूपए 23,745=00 रू0 वसूली योग्य :–</u>

शीर्ष सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं के भुगतान राशि का सत्यापन एवं जाँच उपलब्ध अभिलेखों एवं अभिश्रवों के आधार पर करने के क्रम में पाया गया कि योजना संख्या 2/03–04 (प्राक्कलित राशि 1,57,700=00) के अभिकर्त्ता श्री गणेश चौधरी (पंचायत सचिव) ने योजना पूर्ण करने के लिये कुल 1,37,560=00 रू0 की राशि भिन्न भिन्न तिथियों को भुगतान किया गया था विवरण निम्नवत है।

13.2.04	–	15,000=00
10.3.05	–	60,000=00
		+ 12,560=00 की चावल (6.28/किलो की दर से 20 क्विन्टल)
20.3.05	–	45,000=00
13.6.05	–	5,000=00
		1,37,560=00

मापी पुस्त (अन्तिम मापी) के अनुसार इस योजना में कुल 1,13,815=00 का ही कार्य किया गया तथा इस प्रकार 1,37,560=00– 1,13,815=00 23,745=00 का अधिक भुगतान किया गया था। अतएव जिम्मेवार व्यक्ति से योजना में अधिक भुगतान की राशि 23,745=00 रू0 की वसूली हेतु आवश्यक कारवायी किया जाय एवं वसूली राशि को सम्बन्धित विभाग या योजना से सम्बन्धित बैक खाता में जमा कराकर इसकी सूचना वित्त (अंकेक्षण) विभाग बिहार पटना को अवश्य दिया।

<u>(6) खाली बोरे का मूल्य रू0 5,472 की राशि वसूली योग्य :–</u>

शीर्ष सम्पूर्ण ग्रा0 रो0 योजना के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं पर खर्च राशि का सत्यापन एवं जाँच के क्रम में पाया गया कि योजनाओं को पूर्ण करने हेतु अभिकताओं को चावल भी दिया गया था जिसकी विवरणी परिशिष्ट 'ज' पर दी गयी है। लेकिन किसी अभिकर्त्ता द्वारा बोरा का कोई हिसाब नही दिया गया था जबकि कार्यालय द्वारा अंतिम भुगतान के समय अभिकत्ताओं से बोरा का दाम सरकारी दर से कटौती करनी चाहिये थी।

विदित हो कि आपदा प्रबन्धन विभाग बिहार पटना के पत्रांक 2665 दिनांक 25.11.04 के अनुसार पचास (50 किलो) किलो चावल या अनाज के खाली बोरे का दाम 6 रू0 प्रति बोरा निर्धारित था। परिशिष्ट 'ज' के अवलोकन से ज्ञात होगा कि भिन्न–भिन्न अभिकर्त्ताओं द्वारा पूर्ण योजनाओं पर 912 बोरा (50 किलो चावल/बोरा) का प्रयोग किया गया था जिसका मूल्य 912X6=00 5472=00 रू0 की वसूली नही हुई ।

अतः विभागीय उच्चाधिकारियों का ध्यान उपरोक्त बिन्दुओं की ओर आकृष्ट करते हुए सुझाव है कि जिम्मेवार व्यक्तियों से खाली बोरे का मूल्य रूपए 5472=00 की वसूली कर

इसकी सूचना वित्त (अंकेक्षण) विभाग को भी दिया जाय। तथा भविष्य में बोरा का दाम काट कर ही अभिकर्त्ता को अंतिम भुगतान किया जाय।

(7) रू0 3,806=00 मानक किराया कटौती नही किया जाना वसूली योग्य :–

शीर्ष 2515 (ख) के अन्तर्गत पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन भुगतान की जाँच एवं सत्यापन करने के क्रम में पाया गया कि सरकारी आवास में रहने वाले पदाधिकारीयों एवं कर्मचारियों के वेतन से आवास किराया की कटौती नही की गयी थी। जबकि कटौती होनी चाहिये थी। जिन पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के जिम्मे जो कटौती राशि वसूलनीय थी उसकी विस्तृत विवरण परिशिष्ट 'झ' पर दी गयी हैं जिसके अवालोकन से ज्ञात होगा कि वसूलनीय राशि 3806=00 रू0 है। बिहार सरकार अवर सचिव भवन निर्माण एवं आवास विभाग बिहार सरकार पटना के पत्रांक 189(भ) दिनांक 24.11.90 के अनुसार निम्नलिखित दर पर सरकारी आवास में रहने पर मकान मरम्मति भाड़ा की कटौती करनी होती है।

पदाधिकारी	–	102=00 रू0 प्रति माह
पर्यवेक्षणीय पदा0	–	58=40 रू0 प्रति माह
कर्मचारी	–	25.60 रू0 प्रति माह
पदचर	–	5.10 रू0 प्रति माह

अतः परिशिष्ट 'झ' पर उल्लेखित राशि 3,806=00 रू0 की वसूली सम्बन्धित पदा0 से वसूल कर सरकारी कोष में जमा किया जाय तथा इसकी सूचना वित्त (अंकेक्षण) विभाग बिहार पटना को दी जाय। भविष्य में इस तरह की पुनरावृति न हो इसका भी ध्यान रखा जाय।

(8) रू0 सी पी के रूप में कम काटी गई राशि 937=00 वसूली योग्य :–

शीर्ष एकादश वित्त आयोग के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं पर भुगतान राशि का सत्यापन एवं जाँच के क्रम में पाया गया कि योजना संख्या 01/05–06 के अभिकर्त्ता सुरेश कुमार सिंह (पंचायत सचिव) योजना का कार्य पूर्ण करने के बाद रू0 1,07,600=00 की राशि प्राप्त किया था। योजना की प्राक्कलित राशि भी 1,07,600=00 रू0 थी तथा मापी पुस्त में भी कार्य 1,07600=00 का अंकित था।

लेकिन मापी पुस्त के गहन अवलोकन से स्पष्ट हुआ कि 10 प्रतिशत की दर से 1,03,089=00 रू0 का सी. पी. 9372=00 रू0 का ही कटौती किया गया था जबकि 10 प्रतिशत की दर से 1,03,089=00 का सी. पी. 10,309=00 रू0 होता है। इस प्रकार 10,309=00–9372=00=937=00 रू0 सी. पी. के रूप में कम कटौती किया गया। जो

सम्बन्धित अभिकर्त्ता से वसूलनीय है। विदित हो की इस योजना में मिट्टी भराई एवं ईट सोलिंग कार्य करना था तथा प्राक्कलन के अनुसार समान ढुलाई चार्च रू0 4511=00 पर सी0 पी0 नही काटना था। इसलिये केवल 1,03,089=00 ही सी0 पी0 की कटौती की गयी थी।

अतः सी. पी. की काम काटी गई राशि रूपए 937=00 सम्बन्धित व्यक्ति से वसूल कर तथा सरकारी कोष में जमा कर इसकी सूचना वित्त (अंकेक्षण) विभाग बिहार पटना को दिया जाय।

(9) रोयाल्टी की राशि 298=00 रू0 सरकारी कोष (जमा खनन शीर्ष) में जमा योग्य :–

शीर्ष द्वादश वित्त आयोग के अन्तर्गत योजनाओं पर व्यय राशि के सत्यापन एवं जाँच के क्रम में पाया गया कि योजना संख्या 3/05–06 के अभिकर्त्ता श्री चक्रधारी राम (पंचायत सचिव) को योजना पूर्ण होने के बाद 440=00 वैट एवं 298रू0 रोयाल्टी की रकम काट कर अंतिम भुगतान 4762=00 रू0 किया गया था। लेकिन रोयाल्टी की राशि 298=00 रू0 को रोयाल्टी के सहायक रोकड़ पुस्त के आय पक्ष में नही लाया गया था। केवल वैट की राशि को ही आय पक्ष में लाया गया था। साथ ही साथ द्वादश वित्त आयोग के सहायक रोकड़ पुस्त के व्यय पक्ष से ही नही घटाया गया था।

अतः अविलम्ब रोयाल्टी की राशि 298=00 रू0 को चालान से खनन शीर्ष के जमा शीर्ष में जमा किया जाय तथा सम्बन्धित सहायक रोकड़ पुस्त में भी 298=00 का व्यय दिखाया जाय तथा की गई कारवायी से वित्त (अंकेक्षण) विभाग बिहार पटना को अवगत कराया जाय। साथ ही भविष्य में इसकी पुनरवृत्ति न हो इसका भी ध्यान रखा जाय।

(10) योजना अपूर्ण रहने के कारण लम्बे समय से रू0 77000=00 का अग्रिम असमायोजित :–

शीर्ष विधायक कोष के अन्तर्गत योजना संख्या 47/03–04 के अभिकर्त्ता श्री चक्रधारी राम (पंचायत सचिव) को विभिन्न तिथियों को योजना कार्य सम्पन्न करने के लिये कुल रू0 77,000=00 की राशि अग्रिम के रूप में दी गई थी। विवरणी निम्नवत है।

7.12.04	–	7500=00
1012.04	–	35,500=00
11.4.05	–	34,000=00
		77,000=00

इस योजना में मिट्टी भराई एवं पुलिया निर्माण का कार्य करना था एवं इस योजना कि प्राक्कलित राशि 81,600=00 थी मापी पुस्त में कनीय अभियन्ता द्वारा दिनांक 5.3.05 तक रू0 50156=00 का ही कार्य अंकित किया गया था। उसके बाद अभिकर्त्ता द्वारा कोई कार्य नही

किया गया था। तत्कालिन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा 27.4.05 को कार्य पूरा करने के लिये अभिकर्त्ता को नोटिश भी दिया गया था लेकिन कार्य अभी तक पूर्ण नही हो पाया था। अभिकर्त्ता द्वारा कार्य 50,156=00 (मापी पुस्त के अनुसार) सम्बामधित कोई मास्टर रौल या अभिश्रव अभिलेख के साथ संलग्न नही था। इस प्रकार जिस उद्धेश्य के लिये यह अग्रिम दिया गया वह पूर्ण नही हो सका।

अतः विभागीय उच्चाधिकारियों का ध्यान उपरोक्त वर्णित विषयवस्तु की ओर आकृष्ट करते हुए सुझाव है कि योजना अविलम्ब पूर्ण कराने एवं अग्रिम के समायोजन हेतु आवश्यक कारवाई किया जाय। साथ ही साथ की गयी कारवाई की सूचना वित्त (अंकेक्षण) विभाग बिहार पटना को अवश्य दिया जाय तथा भविष्य में योजना अपूर्ण न रहे समय पर पूर्ण हो इसका ध्यान रखा जाय।

(11) छात्रवृति मद में रू0 7,19,434=00 का भुगतान से सम्बन्धित अभिलेख अप्रस्तुत व्यय आपत्ति अन्तर्गत :–

शीर्ष 2225 (कल्याण) के अन्तर्गत छात्रवृति भुगतान की जाँच एवं सत्यापन उपलब्ध अभिश्रवों एवं सहायक रोकड़ के आधार पर करने के क्रम में पाया गया कि वित्तीय वर्ष 06–07 में इस कार्यालय से विभिन्न पंचायतों को कुल रू0 7,19,434=00 की राशि छात्र– वृति भुगतान हेतु उपावंटित किया गया था। जिसकी विस्तृत विवरणी परिशिष्ट 'त्र' पर दी गयी है।

उपरोक्त भुगतान राशि की जाँच एवं सत्यापन हेतु आपत्ति निर्गत कर सम्बन्धित अभिश्रव या उपयोगिता प्रमाण पत्र की मांग किया गया लेकिन पंचायतो द्वारा छात्रों को भुगतान छात्रवृति राशि का कोई अभिश्रव प्रखण्ड कार्यालय में नही जमा किया गया था। अतएव उपरोक्त व्यय के औचित्य की जाँच नही की जा सकी। अतएव पंचायतों को उप आवंटित राशि 9,19,434=00 को आपत्ति अन्तर्गत रखा जाता है।

अतः विभागीय उच्चाधिकारियों का ध्यान उपरोक्त वर्णित बिन्दुओं एवं परिशिष्ट 'त्र'में उल्लेखित राशि और आकृष्ट करते हुए सुझाव है कि सभी पंचायतों से छात्रवृति भुगतान से सम्बन्धित उपयोगिता प्रमाण पत्र या अभिश्रव उपलब्ध कराकर छात्रवृति का शत प्रतिशत भुगतान हुआ है यह सुनिश्चत किया जाय तथा इसकी सूचना वित्त (अंकेक्षण) विभाग बिहार पटना को दिया जाय तबतक राशि आपत्तिन्तर्गत राखी जा रही है।

(12) डीजल अनुदान की राशि 10,58,000=00 रू0 का भुगतान आपत्ति अन्तर्गत :–

शीर्ष 2245 (सहाय्य) के अन्तर्गत भुगतान राशि का सत्यापन एवं जाँच के क्रम में पाया गया कि विभिन्न पंचायतों को वर्ष 06–07 में डीजल अनुदान के रूप में कुल 10,58,000=00 रू0 की राशि उपावंटित किया गया थी जिसकी विवरण परिशिष्ट 'ट' पर उल्लेखित हैं। लेकिन पंचायतों द्वारा कोई उपयोगिता प्रमाण पत्र या अभिश्रव प्रखण्ड कार्यालय

में नही जमा किया गया था। फलस्वरूप विभिन्न पंचायतों को उपावंटित राशि 10,58,000=00 का व्यय उनके उपबन्ध में हुआ की जाँच नही हो सकी।

अतः विभागीय उच्चाधिकारियों का ध्यान उपरोक्त वर्णित बिन्दुओं एवं परिशिष्ट 'ट' की ओर आकृष्ट करते हुए सुझाव है कि डीजल अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र तथा अभिश्रव सभी पंचायतों से उपलब्ध कराकर जाँच कर यह सुनिश्चित किया जाय कि भुगतान शत प्रतिशत हुआ है तथा इसकी सूचना वित्त (अंकेक्षण) विभाग बिहार पटना को दिया जाय। तबतक राशि 10,58,000=00 के भुगतान को आपत्ति अन्तर्गत रखा जाता है।

(13) योजनाओं पर भुगतान राशि 1,59,640=00 रू0 को पारित अभिश्रव के रूप में रखना आपत्ति अन्तर्गत :–

पारित अभिश्रव पंजी के योग एंव समायोजित राशि की जाँच एवं सत्यापन में पाया गया कि पारित अभिश्रव पंजी के पृष्ठ संख्या 72 पर कुल 1,59,640=00 रू0 अभिश्रव प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना एवं इंदिरा आवास का दर्ज किया गया था अभी भी यह अभिश्रव पारित अभिश्रव के रूप में संधारित है जबकि जिस तिथि को चेक सम्बन्धित लाभार्थी एवं अभिकर्त्ता को निर्गत किया गया था उस तिथि को प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना के सहायक रोकड़ पुस्त में 1,20,500=00 रू0 संवरण शेष के रूप में राशि थी। पारित अभिश्रव के रूप में रखी गयी राशि की विवरणी निम्नलिखित प्रकार है।

क्र0 स0	शीर्ष	निर्गत चेक सं0 एवं तिथि	अभिश्रव सं0	राशि	किसे दिया गया
1	प्रधान मंत्री ग्रा0 योजना (1/04–05)	712472 27.6.05	69	35,000=00	चक्रधारी राम (पं0 से)
2	एकादश वित्त आयोग(1/04–06)	712473 27.6.05	70	45,000=00	चक्रधारी राम (पं0 से)
3	प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना (3/04–05)	नगद	71	67,640=00	चक्रधारी राम (पं0 से)
4	ई0 आवास	712418 27.6.05	72	12000=00	गीता देवी
				1,59,640=00	

स्पष्ट है कि आवंटन प्राप्त होने पर ही योजना प्रारम्भ किया जाता है। ऐसा नही होने पर अन्य मद के सहायक रोकड़ पुस्त से राशि स्थानान्तरित सम्बन्धित योजना के सहायक रोकड़ पुस्त के आय पक्ष में लाकर भी योजना प्रारम्भ किया जाता है जिसका समायोजन उस मद में आवंटन आने पर पुनः वापसी द्वारा कर दिया जाता है।

अतः विभागीय उच्चाधिकारियों का ध्यान उपरोक्त वर्णित तथ्यों की ओर आकृष्ट करते हुए सुझाव है कि अविलम्ब पारित अभिश्रव की राशि 1,59,640=00 रू0 को समायोजित किया जाय तथा की गई कारवाई के परिणाम से वित्त (अंकेक्षण) विभाग बिहार पटना को अवगत कराया जाय। साथ ही साथ भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो इस पर अवश्य ध्यान दिया जाय अन्यथा गम्भीर वित्तीय अनियमितता की सम्भावना से इनकार नही किया जा सकता है।

(14) यात्रा भत्ता के रूप में भुगतान राशि 27,000=00 रू0 आपत्ति अन्तर्गत :–

शीर्ष 2515(ख) के अन्तर्गत विपत्र पुस्त में विपत्रों से विकासी राशि का सत्यापन सम्बान्धित सहायक रोकड़ पुस्त से करने के क्रम में पाया गया कि विपत्र संख्या 115/05–06 से दिनांक 31.3.06 को 15,000=00 तथा विपत्र संख्या 124/06–07 से दिनांक 30.3.07 को 12,000=00 रू0 की निकासी किया गया था। इस प्रकार 15,000=00+12,000 =00 27,000=00 रू0 की राशि यात्रा भत्ता के रूप निकासी कर विभिन्न कर्मचारियों को भुगतान किया गया था जिसकी विस्तृत विवरण परिशिष्ट 'ठ' पर दी गयी है। सम्बन्धित यात्रा भत्ता विपत्रों की कार्यालय प्रति जाँच हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत नही किया गया।

फलस्वरूप यात्रा भत्ता भुगतान की राशि 27,000=00 की जाँच संभव नही हो सकी। यात्रा भत्ता विपत्र की कार्यालय प्रति पदा0 द्वारा पारित दैनान्दिनी की जाँच सक्षम पदाधिकारी से करा कर वस्तु स्थिति से वित्त (अंकेक्षण) विभाग को सूचित किया जाय तबतक यात्रा भत्ता के रूप में भुगतान राशि 27,000=00 को आपत्ति अन्तर्गत रखी जाती है।

भाग – 2

(15) वसूली की गई राशि 9,880=00 रू0 को सरकारी कोष में जमा करने के सम्बन्धन में :–

शीर्ष विविध एवं अंकेक्षण के सहायक रोकड़ पुस्त के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्या 558/93–94 में उठाये गये आपत्ति के आलोक में मुरली मनोहर प्रसाद (पैक्स मैनेजर) से 6000=00 रू0 की वसूली दिनांक 27.04.01 को नाजीर रसीद संख्या 326022 से किया गया था।

इसी प्रकार अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्या 664/90–91 में उल्लेखित वसूली राशि 3,880=00 का वसूली ललन प्रसाद (जीप चालक) से दिनांक 11.10.01 को नाजीर रसीद संख्या 326023 से किया गया था। इस प्रकार कुल 6000=00+38800=00 =9,880=00 रू0 वसूल किया गया था जिसे अभिलम्ब सरकारी कोष में जमा कर देना चाहिए था। लेकिन कार्यालय द्वारा ऐसा नही किया गया जो आपत्ति जनक है।

अतः अविलम्ब इस वसूल की गई राशि 9,880=00 रू0 को सम्बानधित शीर्ष में जमा किया जाय तथा इसकी सूचना वित्त (अंकेक्षण) विभाग को दिया जाय ।

(16) खाता संख्या सी0 डी0 – I में अनावश्यक रूप से रखी गयी राशि 21,382=52 को दूसरे खाता में स्थानान्तारित कर खाता संख्या सी0 डी0 –I को बन्द करने का सुझाव :–

विभिन्न खातों एवं सम्बन्धित चेक पंजी के सत्यापन एवं अवलोकन में यह देखा गया कि खाता संख्या सी0 डी0 – I (जो सेन्ट्रल बैंक आँफ इंडिया का था) में अनावश्यक रूप से बहुत वर्षो से 21,382=92 रू0 की राशि रखी हुई है। इस खाता से न राशि निकाली जाती है न ही जमा किया जाता है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि इस खाता से पैसा का लेन देन नही हो रहा है।

अतः अंकेक्षण दल का सुझाव है कि अविलम्ब खाता संख्या सी0 डी0– I को बन्द कर इसमें रखी गयी राशि 21,382=92 रू0 को कोषागार से सम्बन्धित विभाग में जमा /लौटाया जाय।

लेखा नियंत्रक
वित्त(अंकेक्षण)विभाग,बिहार पटना

मिलान एवं शुद्धिकर्त्ता का हस्ताक्षार

(1)

(2)

परिशिष्ट 'क' कंडिका 1 (त्र) से सम्बन्धित

प्रस्तुत अभिलेख

1. सामान्य रोकड़ पुस्त – वर्ष 05–06 एवं 06–07
2. विपत्र पुस्त – वर्ष 05–06 एवं 06–07
3. सहायक रोकड़ पुस्त
   सभी शीर्षो का – वर्ष 05–06 एवं 06–07
4. वेतन भुगतान पंजी
   सभी शीर्षो का – वर्ष 05–06 एवं 06–07
5. योजना अभिलेख
   (सा0 ई0 आवास को छोड़कर) – वर्ष 05–06 एवं 06–07
6. कन्टीनजेन्ट रजिस्टर – वर्ष 05–06 एवं 06–07
7. आवंटन पंजी सभी शीर्षो का – वर्ष 05–06 एवं 06–07
8. यात्रा भत्ता भुगतान पंजी – वर्ष 05–06 एवं 06–07
9. चेक पंजी (सभी खातों का) – वर्ष 05–06 एवं 06–07
10. लौग बुक गाड़ी संख्या B.P.E 1936 जीप
    (दिनांक 11.5.06 से 18.12.06 तक को छोड़ कर)
11. रेमिटेन्स रजिस्टर – वर्ष 05–06 एवं 06–07
12. नाजीर रसीद

अप्रस्तुत अभिलेखों की सूची :–

1. सेवा पुस्त
2. सामान्य इंदिरा आ0 का अभिलेख – वर्ष 05–06 एवं 06–07
3. यात्रा भत्ता विपत्रों की कार्यालय प्रति – वर्ष 05–06 एवं 06–07
4. गाड़ी का लौग बुक दिनांक 11.5.06 से 18.12.06 तक
   (इन तिथियों भाड़े पर गाड़ी चलायी गई है)
5. पास बुक सभी खातों का
6. शीर्ष भण्डार पुस्त
7. 2053 राजभाषा वेतन भुगतान पंजी

परिशिष्ट 'ख' कंडिका 1(ड़) से सम्बन्धित

(आवंटन एवं व्यय विवरणी)

शीर्ष 2515(क) वर्ष 05-06

क्र0 सं0	मद का नाम	प्राप्त आवंटन	कुल व्यय	अवशेष राशि
1	वेतन+महँगाई भत्ता	890300.00	761959.00	128341.00

शीर्ष 2515(क) वर्ष 06-07

क्र0 सं0	मद का नाम	प्राप्त आवंटन	कुल व्यय	अवशेष राशि
1	वेतन+महँगाई भत्ता	1043700.00	951523.00	92177.00

शीर्ष 2053(राज भाषा) वर्ष 05-06

क्र0 सं0	मद का नाम	प्राप्त आवंटन	कुल व्यय	अवशेष राशि	अभ्युक्ति
1	वेतन+महँगाई भत्ता	280600.00	266597.00	14003.00	

शीर्ष 2053(राज भाषा) वर्ष 06-07

क्र0 सं0	मद का नाम	प्राप्त आवंटन	कुल व्यय	अवशेष राशि	अभ्युक्ति
1	वेतन+महँगाई भत्ता	406407.00	400220.00	6187.00	

शीर्ष 2235(सामाजिक सुरक्षा) वर्ष 05-06

क्र0 सं0	मद का नाम	प्राप्त आवंटन	कुल व्यय	अवशेष राशि	अभ्युक्ति
1	वेतन+महँगाई भत्ता	151000.00	145305.00	5695.00	

शीर्ष 2235(सा0 सुरक्षा) वर्ष 06-07

क्र0 सं0	मद का नाम	प्राप्त आवंटन	कुल व्यय	अवशेष राशि	अभ्युक्ति
1	वेतन+महँगाई भत्ता	202876.00	167444.00	35432.00	

परिशिष्ट 'ख' कंडिका 1(ड़) से सम्बन्धित

(आवंटन एवं व्यय विवरणी)

शीर्ष 2515(क) वर्ष 05–06

क्र0 सं0	मद का नाम	प्राप्त आवंटन	कुल व्यय	अवशेष राशि	अभ्युक्ति
1	वेतन+महँगाई भत्ता	2448000.00	2115800.00	332200.00	
2	कार्यालय व्यय	12500.00	12500.00	–	
3	यात्रा भत्ता	15000.00	15000.00	–	
4	वाहन रख रखाव	35500.00	35500.00	–	
5	दूरभाष	6600.00	–	6600.00	
6	विधुत	2350.00	2350.00	–	
7	वर्दी	1500.00	1500.00	–	

शीर्ष 2515(क) वर्ष 06–07

क्र0 सं0	मद का नाम	प्राप्त आवंटन	कुल व्यय	अवशेष राशि	अभ्युक्ति
1	वेतन+महँगाई भत्ता	2539770.00	1977334.00	562436.00	
2	वाहन रख रखाव	16000.00	16000.00	–	
3	वदी	1500.00	1500.00	–	
4	यात्रा भत्ता	12000.00	12000.00	–	
5	कार्यालय व्यय	10999.00	10999.00	–	
6	विधुत	–	–	–	
7	दूरभाष	–	–	–	

परिशिष्ट 'ग' कंडिका 1(ड) से सम्बन्धित

क्र0 सं0	पदनाम	वेतन मान	स्वीकृत बल	कार्यरत बल	रिक्त बल
1	प्रखण्ड विकास पदा0	6500–10500	01	01	–
2	सहायक	4000–6000 एवं 3050 से 4990	06	2+3=5	01
3	जन सेवक	4000–6000	09	06	03
4	कनीय अभियन्ता	5000–8000	01	01	–
5	ग्राम पंचायत पर्यवेक्षक	5000–8000	01	01	–
6	प्रखण्ड कल्याण पदा0	5000–8000	01	01	–
7	उर्दू अनुवादक	4500–7000	01	01	–
8	सहायक उर्दू अनुवादक	4000–6000	01	–	01
9	उर्दू टंकक	4000–6000	01	01	–
10	जीप चालक	3050–4590	01	01	–
11	अनुसेवक एवं झाड़ू कश	2550–3200	05	03	02
		योग–	28	21	07

परिशिष्ट 'घ' कंडिका 1(ड़) से सम्बन्धित

सहायक रोकड़ पुस्तों के संवरण शेष की सूची (दि0 31.3.07)

क्र0 सं0	शीर्ष का नाम	राशि
1	2515(क)	17147.00
2	2515(ख)	13212.00
3	2030(श्रम)	13521.00
4	2225(कल्याण)	139580.00
5	2505 (एन0 आर0 ई0 पी0)	254.30
6	मातृत्व लाभ	100.00
7	जिला योजना	85.00
8	स0 ग्रा0 रोज0 यो0	47053.57
9	विधायक	464480.19
10	सासंद	183731.00
11	शिक्षा	145647.60
12	2401(कृषि)	47225.50
13	2431(कृषि)	41950.00
14	15 प्रतिशत पंचायत समिति	32161.00
15	एस0 टी0 एफ0 लोन	35000.10
16	निर्वाचन	114483.58
17	बायोगैस	21164.88
18	लधु सिंचाई	260422.16
19	जी0 आई	302.00
20	प्राइज बॉड	100.00
21	2501	15000.00
22	जनगणना	17179.00
23	पंचायत समिति 20 प्रतिशत	8444.76
24	सी0 आर0 पी0 एफ	5333.94
25	आपूर्त्ति	3000.00
26	289 (सहाय्य)	000.00
27	2071 (पेंशन)	000.00
28	8005 (जी0 पी0 एफ)	000.00
29	सा0 ई0 आवास	21380812.60
30	ई0 आ0 अपग्रडेशन	2788608.00
31	वि0 ग्रा0 रो0 यो0	659515.00
32	स0 ग्रा0 रोजगार यो0	2727112.50
33	रा0 पा0 लाभ	4000.00
34	हुडको	5600.00

35	वुनि0 ई0 आवास	213600.00
36	20 प्रतिशत पं0 से0	270394.26
37	डी0 आरा डी0 ए0	500.00
38	ब्याज	901784.00
39	पी0 एफ	24.00
40	पंचायत निर्वाचन	537534.00
41	प्रधान मंत्री ग्रा0 यो0	144350.00
42	प्रधान मंत्री अप ग्रडेशन	10730011
43	विविध (अंकेक्षण)	18239.00
44	दशम+एकादश वित्त आयोग	463636.00
45	रोयालिटी	7417.00
46	साक्षरता	235550.00
47	उत्तर साक्षरता	71168.00
48	प्र0 सा0 सहा0 आवास	364800.00
49	2235(सा0 सुरक्षा)	000.00
50	पल्स पोलियों	12.85
51	पोषाहार	52.50
52	राज भाषा	000.00
53	स्प्रे0 कम्पोनेन्ट	911000.00
54	वि0 क्षे0 आवास	10753300.00
55	प्रोत्साहन	000.00
56	बलिका समृद्धि	000.00
57	रा0 वृ0 पेंशन	10280.00
	कुल योग-	44203169.10

परिशिष्ट 'ड.' कंडिका 1(ड़) से सम्बन्धित

क्र0 सं0	बैंक का नाम	खाता संख्या	राशि (31.3.07)
1	एस0 बी0 आई	1. 01100050046 2. 01190007206 3. 01000050027	20683421.00 26588.00 1938.96
2	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया	1. 2957 2. 1140 3. सी0डी0-1 4. 4002 5. 4803	10326564.76 19212.52 21382.92 3359812.00 79562.00
3	कॉपरेटिभ बैंक पकड़ी दयाल	1051	173122.00
4	क्षेत्रीय ग्रा0 बैंक गड़ाहिया	1665	604295.00
5	उ0 क्षे0 ग्रा0 बैंक भेलवा	2197	5000100.00
6	उ0 क्षे0 ग्रा0 बैंक विशुनपुर	5330	500.00
		योग-	40296499.16

परिशिष्ट 'च' कंडिका '2' से सम्बन्धित

क्र0 सं0	शीर्ष (सहायक रो0 पुस्त का नाम)	राशि	तिथि जबसे राशि पड़ी हुई है।
1	लधु सिंचाई	260422.16	5.12.2002
2	2202(शिक्षा)	145647.60	3.8.2006
3	पंचायत समिति	8444.76	17.5.1997
4	पंचायत समिति 15 प्रतिशत	32161.00	3.11.2000
5	पोषाहार	52.50	27.6.2005
6	डी0 आर0 डी0 ए0	500.00	25.1.2001
7	बायोगैस	21164.88	27.6.05
8	रा0 पा0 लाभ यो0	4000.00	30.3.2005
9	विविध तथा अंकेक्षण	18239.00	10.3.05
10	2230 (श्रम)	13521.00	5.11.2005
11	एन0 आर0 ई0 पी0	254.30	31.3.2003
12	253 (बीस सुत्री)	302.10	30.3.1985
13	प्राइज बौड	100.00	31.3.1964
14	अर्ध सैनिक बल	5533.94	18.1.2006
15	पल्स पोलियों	12.85	9.4.2007
16	एस0 टी0 लोन	35000.00	1.6.1988
17	साक्षारता	235550.00	27.06.2005
18	उत्तर साक्षरता	71168.00	3.8.2006
19	हुड़को	5600.00	31.8.2000
20	मातृत्व लाभ योजना	100.00	31.3.2000
21	स्पेशल कम्पोनेन्ट योजना	911000.00	7.3.2005
	योग–	**1768774.09**	

परिशिष्ट 'छ' कंडिका '3' से सम्बन्धित

(अस्थायी अग्रिम की सूची)

क्र0 सं0	नाम एवं पदनाम	मद	राशि	तिथि
1	अनुमण्डल पदा0 पड़कीदयाल (तत्कालीन)	पंचायत चुनाव 06 में अग्रिम के रूप में	200000.00	29.5.06
2	राजदेव दास (पंचायत पर्यवेक्षक)	पंचायत निर्वाचन में गाड़ी भाड़ा के लिये	2000.00	29.6.06
3	सुनिल कु0 सिंह (पं0 सचिव)	पंचायत चुनाव में चलन्त बुथ बनाने हेतु	4000.00	29.6.06
4	सरफुद्धीन असरफ जनसेवक	बिहार नगर निकाय निर्वाचन 07 के प्रति नियुक्त कर्मी का यात्रा भत्ता	1000.00	17.5.06
5	नरेन्द्र सिंह जन सेवक	,,	1000.00	17.5.06
6	राजेश कुमार मिश्र जन सेवक	,,	1000.00	17.5.06
7	नरायण किशोर वर्मा जनसेवक	,,	1000.00	17.5.06
8	सुनिल कुमार पं0 सचिव	,,	800.00	17.5.06
9	मुक्ति न0 पाण्डेय (सहायक)	,,	800.00	17.5.06
10	मो0 नसीम (सहायक)	,,	800.00	17.5.06
11	मुस्ताक अहमद पं0 सचिव	,,	800.00	17.5.06
12	कामेश्वर सिंह पं0 सचिव	,,	800.00	17.5.06
13	ब्रजमोहन तिवारी पं0 सचिव	,,	800.00	17.5.06

1.4.05 से 31.3.07 के बीच का अस्थायी अग्रिम- 214800.00

31.3.05 के पहले का अस्थायी अग्रिम - 435037.62

कुल योग- 649837.62

परिशिष्ट 'ज' कंडिका "6" से सम्बन्धित

क्र0 सं0	योजना संख्या	अभिकर्त्ता का नाम एवं पद नाम	चावल की मात्रा	खाली बोरा की संख्या	दर	राशि
1	18/05-06	कमलेश्वर (पं0 से0)	25.06 क्विं	50	6 रू0	300.00
2	2/05-06	गणेश चौ0 (पं0 से0)	20.00क्विं	40	6 रू0	240.00
3	4/05-06	ब्रज मोहन तिवारी (पं0 से0)	18.66 क्विं	37	6 रू0	222.00
4	7/06-07	मुसताक अहमद (पं0 से0)	14.04 क्विं	28	6 रू0	168.00
5	1/05-06	चक्रधारी राम (पं0 से0)	18.66 क्विं	37	6 रू0	222.00
6	2/04-05	कमरू लाह कमर (पं0 से0)	26.08 क्विं	52	6 रू0	312.00
7	12/04-05	कमरू लाह कमर (पं0 से0	27.28 क्विं	54	6 रू0	324.00
8	16/04-05	रईस आजम (पं0 से0)	6.88 क्विं	13	6 रू0	78.00
9	3/05-06	सुरेश कुमार सिंह	18.88 क्विं	37	6 रू0	222.00
10	2/05-06	मुस्ताक अहमद (पं0 से0)	21.26 क्विं	42	6 रू0	252.00
11	9/05-06	चक्रधारी राम (पं0 से0)	18.66 क्विं	37	6 रू0	222.00
12	7/05-06	लाल बहादूर बैठा (पं0 से0)	21.78 क्विं	43	6 रू0	258.00
13	6/05-06	गगन देव प्रसाद (पं0 से0)	18.66 क्विं	37	6 रू0	222.00
14	17/05-06	गगन देव प्रसाद(पं0 से0)	18.66 क्विं	37	6 रू0	222.00
15	12/05-06	राजेश कुमार मिश्र (पं0 से0)	25.06 क्विं	50	6 रू0	300.00
16	15/05-06	राजेश कुमार मिश्र (पं0 से0)	25.00 क्विं	50	6 रू0	300.00
17	11/05-06	कामेश्वर सिंह (पं0 से0)	18.66 क्विं	37	6 रू0	222.00
18	13/05-06	सुरेश कुमार सिंह (पं0 से0)	25.06 क्विं	50	6 रू0	300.00
19	14/05-06	सुरेश कुमार सिंह (पं0 से0)	31.06 क्विं	62	6 रू0	372.00
20	16/05-06	सुरेश कुमार सिंह (पं0 से0)	18.66 क्विं	37	6 रू0	222.00
21	10/05-06	रविन्द्र सिंह (पं0 से0)	25.00 क्विं	50	6 रू0	300.00
22	11/06-07	सुरेश कुमार सिंह (पं0 से0)	16.12 क्विं	32	6 रू0	192.00

बोरा- 912 **योग- 5472.00**

परिशिष्ट 'झ' कंडिका '7' से सम्बन्धित

क्र0 सं0	नाम एवं पदनाम	अवधि	दर	राशि
1	श्री संजीव कुमार (प्र0 वि0 पदाधिकारी)	31.3.05 से 1.6.05 तक कुल चार माह	102.00	408.00
2	श्री सुशान्त कुमार (प्र0 वि0 पदा0)	1.7.05 से अक्टू 05 तक कुल चार माह	102.00	408.00
3	श्री ओम प्रकाश पाल (प्र0 वि0 पदा0)	जनवरी 06 से मार्च 07 तक कुल 15 माह	102.00	1530.00
4	श्री शम्भू पाण्डेय (जी0 पी0 एस)	अक्टू 05 से मार्च 07 तक कुल 18 माह	58.40	1051.20
5	श्री गुंजेश्वर प्रसाद सिन्हा (प्र0 कृषि पदा0)	मार्च 05 से सित0 05 तक कुल 7 माह	58.40	408.80
			योग–	**3806.00**

परिशिष्ट 'त्र' कंडिका '11' से सम्बन्धित

विभिन्न पंचायतों को वर्ष 05-06 एवं 06-07 में उपवांटित राशि की विवरणी

क्र0 सं0	पंचायत का नाम	पंचायत सचिव का नाम	उपवांटित राशि	तिथि
1	दुलमा	राजेश कुमार मिश्र	27254.00 35100.00	29.6.06 9.2.07
2	भेलवा	चक्रधारी राम	25802.00 29700.00	29.6.06 9.2.07
3	रूपनी	ब्रज मोहन तिवारी	25802.00 26500.00	29.6.06 9.2.07
4	नौरंगिया माधोपुर	रविन्द्र सिंह	26882.00 30300.00	29.6.06 9.2.07
5	तालिमपुर	मुस्ताक अहमद	25802.00 24700.00	29.6.06 9.2.07
6	मधुबन (उ0)	चक्रधारी राम	27062.00 36916.00	29.6.06 9.2.07
7	मधुबन (द0)	कमलेश्वर राम	26882.00 22420.00	29.6.06 9.2.07
8	सवंगिया	कमलेश्वर सिंह	25802.00 24700.00	29.6.06 9.2.07
9	कोइल तारा	सुनील कुमार	26882.00 30660.00	29.6.06 9.2.07
10	गड़हिया	गगन देव प्रसाद	27062.00 30660.00	29.6.06 9.2.07
11	वजितपुर	सुरेश कुमार सिंह	25802.00 26700.00	29.6.06 9.2.07
12	कौड़िया	राम पदास्थ सिंह	26882.00 30660.00	29.6.06 9.2.07
13	कृष्णनगरा	चक्रधारी राम	25802.00 26700.00	29.6.06 9.2.07
		योग-	**719434.00**	

परिशिष्ट 'ट' कंडिका '12' से सम्बन्धित

शीर्ष 2245 (सहाय्य) के अन्तर्गत वर्ष 06–07 में डीजल अनुदान की उपवांटित राशि का पंचायत वार विवरणी

क्र0 सं0	पंचायत का नाम	चेक संख्या एवं उप आवंटित की तिथि	उपवांटित डीजल अनुदान की राशि
1	दुलमा	213652 31.8.06	108624.00
2	भेलवा	213653 31.8.06	74549.00
3	रूपनी	213654 31.8.06	78915.00
4	तलिमपुर	213655 31.8.06	88117.00
5	मधुबन उतरी	213656 31.8.06	78924.00
6	मधुबन दक्षिणी	213657 31.8.06	647222.00
7	कृष्णानगर	213658 21.8.06	79206.00
8	माधोपुर नौरंगिया	213659 31.8.06	83229.00
9	कौड़िया	213660 31.8.06	86003.00
10	वाजितपुर	213661 31.8.06	83503.00
11	कोइल हारा	213662 31.8.06	72752.00
12	सवंगिया	213663 31.8.06	81962.00
13	गड़हिया	213664 31.8.06	77494.00

योग– 1058000.00

परिशिष्ट 'ठ' कंडिका '14' से सम्बन्धित

क्र0 सं0	कर्मचारियों के नाम	यात्रा भत्ता भुगतान की राशि	भुगतान तिथि	विपत्र सं0 जिससे राशि की निकासी हुई।
1	श्री ललन प्रसाद जीप चालक	5050.00	31.3.06	115/05-06 से 15000 की निकासी
2	श्री मुक्ति नरायण सिंह नाजीर	5000.00	31.3.06	115/05-06 से 15000 की निकासी
3	श्री मुक्ति नरायण पाण्डेय	1100.00	31.3.06	115/05-06 से 15000 की निकासी
4	श्री अमर नाथ राय	1050.00	31.3.06	115/05-06 से 15000 की निकासी
5	दिनेश चन्द्र झा	2200.00	31.3.06	115/05-06 से 15000 की निकासी
6	महेन्द्र रजक	600.00	31.3.06	115/05-06 से 15000 की निकासी

वर्ष 05-06 में योग- 15000.00

क्र0 सं0	कर्मचारियों के नाम	यात्रा भत्ता भुगतान की राशि	भुगतान तिथि	विपत्र सं0 जिससे राशि की निकासी हुई।
1	श्री ललन प्रसाद जीप चालक	3000.00	30.3.07	विपत्र सं0 124/06-07 से 12000 की निकासी
2	श्री कमल कुमार अनुसेवक	1000.00	30.3.07	विपत्र सं0 124/06-07 से 12000 की निकासी
3	श्री मुक्ति न0 सिंह नाजीर	3000.00	30.3.07	विपत्र सं0 124/06-07 से 12000 की निकासी
4	श्री ललन प्रसाद जीप चालक	1000.00	30.3.07	विपत्र सं0 124/06-07 से 12000 की निकासी
5	श्री मुक्ति ब0 पाण्डेय सहायक	1500.00	30.3.07	विपत्र सं0 124/06-07 से 12000 की निकासी
6	श्री शम्भु पाण्डेय (जी0 पी0 एस)	1500.00	30.3.07	विपत्र सं0 124/06-07 से 12000 की निकासी
7	श्री असर्फी राय	1000.00	30.3.07	विपत्र सं0 124/06-07 से 12000 की निकासी

योग- 12000.00

इस प्रकार कुल राशि- 15000.00+12000.00

= 27000.00

.